

**छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय  
:: अधिसूचना ::**

रायपुर, दिनांक 19/11/2004

क्रमांक 1010 /सी-1736/वि/नि/चार/2004 :: राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 269/427/वि/नि/चार/2001 दिनांक 6.12.2001 द्वारा गठित पेंशनर कल्याण मंडल के अशासकीय सदस्यों की कार्यावधि समाप्त होने के फलस्वरूप निम्नानुसार मंडल का पुनर्गठन करती है:-

1.	मुख्य सचिव,छ0ग0 शासन या उनके द्वारा मनोनीत प्रमुख सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, छ0ग0 शासन लोक स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
5.	डा. रामकृष्ण मिश्रा, अध्यक्ष, पेंशनर्स एसोसिएशन ,रायपुर	सदस्य
6.	डा. करीम बख्श गाजी पेंशनर्स एसोसिएशन,राजनांदगांव	सदस्य
7.	श्री जगत सिंह बैस, प्रान्ताध्यक्ष, छ0ग0 पेंशनर कल्याण संघ, चांपा	सदस्य
8.	श्री सारंगधर झा अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज,कांकेर	सदस्य
9.	श्री खिमनलाल सोनी, प्रांतीय महामंत्री,पेंशनर्स एसोसिएशन कवर्धा	सदस्य
10.	संचालक,कोष,लेखा एवं पेंशन छ0ग0 रायपुर	सदस्य/संयोजक

2. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्यालय कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर होगा ।

3. पेंशनर कल्याण मण्डल का कार्य पेशनरों की समस्याओं पर सतत् विचार कर राज्य शासन को सलाह देना, प्रक्रिया संबंधी विसंगतियों एवं कठिनाईयों को शासन की जानकारी में लाना और उनके निवारण के उपाय एवं साधन सुझाना होगा ।
4. मण्डल के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा, जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा । किसी सदस्य के त्याग पत्र देने पर अथवा किसी भी कारण मण्डल का कार्य संपादन करने में असमर्थ/अपात्र होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकेगी ।
5. समिति के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी-6-1/84/नि 2/चार, दिनांक 8.10.84 के अनुसार विनियमित होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(रेणू जी पिल्ले)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग


रायपुर, दिनांक 19.11.2004

पृ.क्र. 1011/सी-1736/वि/नि/चार/2004

#### प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
6. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
8. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
11. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
12. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
14. आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।

15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पैशन, छ.ग., रायपुर
18. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
22. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://cgfinance.nic.in> में अपलोड करने हेतु ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के.चक्रवर्ती)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग